कर्नल एकेडेमी में 'सुरक्षित बचपन अभियान' के तहत जागरूकता कार्यक्रम

कटिहार। शिक्षा जगत के बहुचर्चित विद्यालय कर्नल एकेडेमी में बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों एवं सम्मानजनक जीवन के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कर्नल एकेडेमी में 'सुरक्षित बचपन अभियान' के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा, बाल अधिकार, व्यक्तिगत सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना था । कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को यह संदेश दिया गया कि सुरक्षित बचपन प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और इसकी जिम्मेदारी केवल माता-पिता की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की है । POCSO का पूरा नाम Protection of Children from Se&ual Offences Act, 2012 है । हिंदी में इसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 कहा जाता है । यह भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों, यौन उत्पीड़न और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है।'सुरक्षित बचपन अभियान' के अंतर्गत विद्यालय में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में POCSO अधिनियम को प्रमुख विषय के रूप में शामिल किया जा सकता है । इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा, अनुचित व्यवहार की पहचान तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के तरीकों से परिचित कराना है । कार्यक्रम का शुभारंभ सकारात्मक एवं प्रेरणादायक वातावरण में हुआ । इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की । कार्यक्रम की शुरुआत में श्री फारुक आलम ने बाल्यावस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बचपन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसी अवस्था में बच्चे के व्यक्तित्व, विचारों, व्यवहार और भविष्य की नींव रखी जाती है । इसलिए प्रत्येक बच्चे को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, जहाँ वह स्वयं बिना किसी डर या संकोच के इसका विरोध करना चाहिए । ऐसी स्थिति में तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय वयस्क को जानकारी देनी चाहिए । अवधेश कुमार (ꣳस्ज्ञ. ꣳष्ट) ने बच्चों को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की अनुचित



को सुरक्षित, स्वतंत्र और सम्मानित महसूस कर सके । कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को उनके मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने, समानता का अधिकार पाने, अपनी बात रखने तथा शोषण और भेदभाव से सुरक्षित रहने का अधिकार है। बच्चों को यह समझाया गया कि किसी भी परिस्थिति में उनके सम्मान, स्वतंत्रता और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। बाल श्रम, बाल शोषण, बाल विवाह, भेदभाव एवं उपेक्षा जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति भी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा व्यक्तिगत सुरक्षा एवं अच्छे-बुरे व्यवहार की पहचान से संबंधित था । विद्यार्थियों को समझाया गया कि उनका शरीर उनका अपना है और उन्हें अपनी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करने का पूरा अधिकार है । यदि कोई व्यक्ति उन्हें असहज महसूस कराता है अथवा उनके साथ अनुचित व्यवहार करता है, तो उन्हें गतिविधि को छिपाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है । उन्हें अपनी समस्याओं को खुलकर साझा करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता माँगने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि बच्चों की बातों को गंभीरता से सुनना और उन्हें उचित सहयोग देना प्रत्येक जिम्मेदार वयस्क का कर्तव्य है । आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा एवं इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग पर भी विशेष चर्चा की गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है । उन्हें अनजान व्यक्तियों से ऑनलाइन बातचीत करने, व्यक्तिगत जानकारी साझा करने, पासवर्ड बताने तथा किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचने की सलाह दी गई। साथ ही, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और इंटरनेट पर होने वाली अनुचित गतिविधियों के प्रति भी जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी तुरंत अपने अभिभावकों या शिक्षकों को दें । कार्यक्रम में बुलिंग अर्थात् डराने-धमकाने और परेशान करने की प्रवृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिया गया । विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी सहपाठी का मजाक उड़ाना, उसे अपमानित करना, डराना, धमकाना या जानबूझकर समूह से अलग रखना भी गलत व्यवहार है। विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए । श्री अमृत कृष्णा ने बच्चों को आपसी सहयोग, सहानुभूति, मित्रता और संवेदनशीलता का महत्व समझाया गया । उन्हें प्रेरित किया गया कि वे किसी भी साथी के साथ होने वाले अनुचित व्यवहार के प्रति मूकदर्शक न बनें, बल्कि जिम्मेदारीपूर्वक शिक्षक को इसकी जानकारी दें । इस अवसर पर शिक्षकों एवं अभिभावकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया । कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के साथ संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया । बच्चों ने व्यक्तिगत सुरक्षा, ऑनलाइन गतिविधियों, सामाजिक व्यवहार एवं अपने अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे । वक्ताओं ने उनके प्रश्नों का सरल एवं सहज भाषा में उत्तर दिया। इस संवाद ने विद्यार्थियों में जागरूकता के साथ-साथ आत्मविश्वास भी विकसित किया। उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि सतर्कता, सही जानकारी और समय पर सहायता प्राप्त करना सुरक्षित जीवन के महत्वपूर्ण आधार हैं । उन्होंने विद्यार्थियों को जागरूक, सतर्क और आत्मविश्वासी बनने के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों एवं सम्मान का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया । उन्होंने शिक्षकों से भी आग्रह किया कि वे बच्चों की समस्याओं को संवेदनशीलता से समझें और उनके लिए सहयोगपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करें ।

कर्नल एकेडेमी के प्रमुख कर्नल अक्षय यादव ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि, बच्चों की सुरक्षा केवल एक कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। प्रत्येक बच्चे को भयमुक्त, सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने का अधिकार है । ꣳष्टस्ह अधिनियम बच्चों को लैंगिक अपराधों एवं शोषण से संरक्षण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून है । कर्नल एकेडेमी के निदेशक अरुण कुमार ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों का सुरक्षित बचपन ही उनके उज्ज्वल भविष्य की पहली सीढ़ी है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें जागरूक, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है । ꣳष्टस्ह अधिनियम प्रत्येक बच्चे को लैंगिक अपराधों एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। इसके प्रति बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों में जागरूकता होना अत्यंत आवश्यक है।

कर्नल एकेडेमी के प्रधानाचार्या अनिल के. सी. ने कार्यक्रम के समापन पर सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने बाल सुरक्षा, समानता, सम्मान और जागरूकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे स्वयं सुरक्षित व्यवहार अपनाएँगे, दूसरों की व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करेंगे, किसी भी प्रकार की बुलिंग या भेदभाव का हिस्सा नहीं बनेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता प्राप्त करेंगे ।'सुरक्षित बचपन अभियान' के अंतर्गत आयोजित यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सार्थक पहल साबित हुआ। इसने यह संदेश दिया कि बच्चों की सुरक्षा केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि निरंतर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है । विद्यालय परिवार ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी वक्ताओं एवं प्रतिभागियों का विशेष धन्यवाद किया। साथ ही शिक्षकों की सक्रिय भूमिका और विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता की सराहना की गई । अंत में सभी से आग्रह किया गया कि वे बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और संरक्षण के संदेश को अपने परिवार एवं समाज तक पहुँचाएँ । सुरक्षित बचपन केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हम सभी का संकल्प और जिम्मेदारी है।

डीएम ने सुनी फरियादियों की समस्या

पूर्णिया (आससे)। पूर्णिया समाहरणालय स्थित प्रज्ञान सभागार में शुक्रवार को आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी निष्पादन को लेकर %सेवा-संवाद-समाधान अनुश्रवण प्रणाली% के अंतर्गत 'सबका सम्मान-जीवन आसान' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की ओर से आमजनों को सुगम और त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार (भा0प्र0से0) ने जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए फरियादियों की शिकायतों को पूरी गंभीरता के साथ सुना। जनता दरबार में कुल 22 फरियादियों ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी-अपनी समस्याएं और आवेदन रखे। डीएम द्वारा सभी आवेदनों का बारीकी से अवलोकन किया गया तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से निष्पादन करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस पहल की विशेषता यह है कि केवल जिला मुख्यालय स्तर पर ही नहीं, बल्कि जिले के सभी अनुमंडलों, प्रखंडों और पंचायतों के स्तर पर भी अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर आम जनता की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए त्वरित कदम उठाए। जिला प्रशासन की ओर से यह जानकारी दी गई कि यह जनहित कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और शुक्रवार को नियमित रूप से जिला मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक आयोजित किया जाता है।

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद।
(E-mail:- shlcdaurangabad@gmail.com)

शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय के पत्रांक 1178 दिनांक 14.10.2026 द्वारा निर्गत अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2026-27 जिसका PR No. 013920(WRD) 2026-27 में आंशिक संसोधन किया जाता है, जो निम्न प्रकार हैं-

1. क्र0 सं0 20, 21 एवं 31 को विलोपित समझा जाय।
2. क्र0 सं0 01 में दर्ज कार्य के समाप्ति का समय **माह मार्च 2027 के पूर्व** के स्थान पर **माह मार्च 2027** समझा जाए।
3. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 686 दिनांक 19.08.2014 एवं पत्रांक 200 दिनांक 14.03.2016 के अनुरूप दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। जो निम्नवत् हैं-

(i) निम्न आशय का शपथ-पत्र (निविदा निर्गत करने की तिथि के बाद का निर्गत) अपलोड करना अनिवार्य हैं। जो इस प्रकार है-

"I the undersigned, do hereby certify that all the statement made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as black listing."

(ii) Availability of Key Personnel प्रमाण-पत्र / शपथ-पत्र।
(iii) Availability of key Equipment (Either owned or Leased or by Procurement) प्रमाण-पत्र।
(iv) Similar Nature of work(minimum 10% of Estimated Amount) Minimum one similar work का कार्यपालक अभियंता से निर्गत प्रमाण-पत्र।

शेष सभी नियम एवं शर्त्ते पूर्ववत् रहेगी। निविदा को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(ई0 नवल किशोर कुमार)
कार्यपालक अभियन्ता
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल,औरंगाबाद।

PR- 014444 (W R D) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

फर्जी खबर प्रकाशित कर अनिल मेहरा की राजनीतिक छवि धूमिल करने का आरोप, विरोधियों पर साजिश रचने का दावा

बनमनखी (पूर्णिया) (आससे)। रामनगर फरसाही पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी अनिल मेहरा ने उनके नाम, तस्वीर और बयानों का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल कर फर्जी समाचार प्रकाशित एवं प्रसारित किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनकी छवि और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश रची जा रही है।

अनिल मेहरा के अनुसार, पिछले दिनों कुछ समाचार पत्रों में रामनगर फरसाही पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी अनिल मेहरा के नाम से एक खबर प्रकाशित की गई। इसमें कवर फोटो, नाम और



तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई। आरोप है कि उक्त खबर व्हाट्सएप नंबर 9801014691 के माध्यम से विभिन्न समाचार माध्यमों को भेजी गई थी, जिसके आधार पर कुछ अखबारों में भी इसे प्रकाशित किया गया। अनिल मेहरा ने बताया कि उन्होंने पंचायत क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना के लाभुकों एवं आम जनता से मिली शिकायतों के आधार पर कुछ सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि इंदिरा आवास योजना से जुड़े 1479 लाभुकों को प्रति लाभुक 3000 रुपये दिए जाने की शिकायत सामने आई थी। इस मामले में उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को सतर्क करते हुए मुखिया एवं बिचौलियों को किसी प्रकार की राशि नहीं देने की बात कही थी। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों से मामले की जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा उठाए गए सवालों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर राजनीतिक बयान का रूप दिया गया। उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी माध्यम से दलित, कब्रिस्तान, खेल मैदान अथवा इंदिरा आवास योजना के लाभुकों के विरोध में कोई बयान नहीं दिया है। अनिल मेहरा ने इस पूरे मामले को उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की सुनियोजित कोशिश बताते हुए संबंधित मोबाइल नंबर से खबर भेजने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना और जनहित के मुद्दों को सामने लाना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन किसी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से नाम, तस्वीर और बयानों के साथ छेड़छाड़ कर भ्रामक समाचार फैलाना सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध है।

माले नेत्री जूही महबूबा के पिता का इंतकाल, शोक की लहर

बारसोई (कटिहार) आससे। बलरामपुर से भाकपा माले की वरिष्ठ नेत्री जूही महबूबा के पिता मोहम्मद सुकुर उर्फ जामदार का इंतकाल हो गया। वह अपने पीछे 05,पुत्र तीन पुत्रियां छोड़ गए। उम्र लगभग 95 साल में उन्होंने अंतिम सांस ली.उनके निधन की खबर सामने आते ही क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई।



मरहूम का अंतिम संस्कार (सुपुर्द-ए-खाक) आज ही पैतृक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न किया जाएगा। इस गमगीन माहौल में बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक महबूब आलम भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि दिवंगत उनके ससुर थे। पिता के इंतकाल पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जूही महबूबा ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, मेरे अब्बा अब इस दुनिया में नहीं हैं, सिर्फ बाबूजी की याद साथ में है। निधन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, शुभचिंतक और स्थानीय लोग शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं। क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों ने मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

सुरक्षित बचपन अभियान के तहत बच्चों को किया गया जागरूक

अररिया। बच्चों को यौन शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम और साइबर अपराध जैसी घटनाओं से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अररिया जिले में सुरक्षित बचपन अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निर्देश पर 26 से 31 अक्टूबर तक आयोजित इस अभियान के पांचवें दिन शुक्रवार को भरगामा प्रखंड के बीरनगर विषहरिया पंचायत स्थित डीबी हाई स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। %जागरूक बचपन, सशक्त भारत% के तहत आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया के पैनल एडवोकेट राहुल रंजन ने छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।

इस दौरान राहुल रंजन ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण में रहने तथा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण और उत्पीड़न से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में चुप रहने के बजाय अपने अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की।

कार्यक्रम में बच्चों को पॉक्सो अधिनियम-2012, बाल अधिकारों और साइबर अपराध से बचाव के विभिन्न उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया। सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल पर जोर देते हुए बच्चों को सलाह दी गई कि वे अपनी निजी जानकारी, फोटो और वीडियो अनजान लोगों के साथ साझा न करें। बताया गया कि साइबर अपराधी ऑनलाइन माध्यमों से बच्चों की निजी जानकारी का दुरुपयोग कर उन्हें परेशान करने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को नशे की लत, गलत संगति और प्रलोभनों से दूर रहने के लिए भी जागरूक किया गया।

पैनल एडवोकेट राहुल रंजन ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी देना और उन्हें शोषण तथा विभिन्न अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना है। इसके तहत जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य मो. फारूक आलम, पीएलवी ज्योतिष कुमार झा सहित शिक्षक मो. जसीमुद्दीन, रामदेव रजक, दामोदर प्रसाद यादव, अमित कुमार, संजय कुमार, सुशील कुमार, रणधीर कुमार दिवाकर, मनोज कुमार यादव, प्रवीण कुमार सिंह, डिंपल सिंह, विजय कुमार निराला, रशीद करीम, कुमार जमीरुद्दीन, अमरेंद्र कुमार उरांव, चंदन कुमार, राजेश कुमार एवं दीपक कुमार साह सहित दर्जनों छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

BIHAR RAJYA BEEJ NIGAM LIMITED

Govt. of Bihar

(A Govt. of Bihar Undertaking)
An IS/ISO 9001:2015; IS/ISO 14001:2015; IS/ISO 37001:2016 Certified Company
3rd Floor, Krishi Bhawan, Mithapur, Patna-800001 (BIHAR)
Telephone: 0612 2547066 website: brbn.bihar.gov.in e-mail: brbn.bih.mail@gmail.com
CIN : U01111BR1977SGC 001294

NOTICE INVITING TENDER- Processing- 01/2026-27
Through e-Procurement mode only over https://Eproc-2.bihar.gov.in/Beltron

Bihar Rajya Beej Nigam Ltd. invites under two bid systems from Reputed/Authorized Labour contractor for handling and processing of Raw seed approx 3.00 Lakh (Three lakh) Quintal annually.

1. Date of Downloading of Tender Document- **From 29.10.2026 to 20.11.2026**
2. Date of Pre-bid meeting on **05.11.2026 at 3:00 PM** (Tenderers may present in meeting for any queries/discussion at Bihar Rajya Beej Nigam Limited Patna).
3. Date of Submission/Uploading of Tender- U**pto 20.11.2026 at 3:00 PM**
4. Date & Time for opening of Technical Bid- **20.11.2026 at 5:00 PM**
5. Contact Person/Nodal Officer for queries- Name- Sri Rabindra Kumar Verma, Chief of Processing, Mob-9431266889
6. Financial Bid opening date - To be notified after technical bid.
7. Validity of Tender-01 (one) Year.
   For details, please visit the website:-
8. **brbn.bihar.gov.in**
9. https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html
10. **https://eproc2.bihar.gov.in**

Managing Director
Bihar Rajya Beej Nigam Ltd

PR- 014504 (B & C) 2026-27
For further details please visit : www.state.bihar.gov.in/prdbihar

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

बिहार सरकार

समाहरणालय, सहरसा
(जिला नजारत शाखा)
Email ID:- zilanazaratsaharsa@gmail.com
-:: अल्पकालीन निविदा ::-

श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव-2026 के आयोजन से संबंधित निविदा

दिनांक 19, 20 एवं 21 नवम्बर-2026 को राजकमल क्रीड़ा मैदान, महिषी, सहरसा में आयोजित श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव, महिषी, सहरसा के अवसर पर टेन्ट, पंडाल, शामियाना, जेनरेटर सेट एवं अन्य विद्युत सामग्रियों को भाड़े पर लेने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों के लिए इच्छुक GST/निबंधित प्रतिष्ठान एवं अनुभवी आपूर्तिकर्ता से जिलाधिकारी, सहरसा को संबोधित दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में निम्नांकित शर्तों पर दिनांक- 07.11.2026 के अपराह्न 02.00 बजे दिन तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 07.11.2026 को अपराह्न 03.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोली जायेगी। निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त अवसर पर अवश्य उपस्थित रहेंगें। सामग्रियों/सेवाओं का सूची निम्न प्रकार से है:-

Section- A
For logistic items/Services for cultural program & Seminar (At Mahishi village Raj Kamal playground) Date 19 to 21 Nov. 2026 (03 दिवसीय)
Section- B. (Date 19 to 21Nov. 2026)

1.विस्तृत जानकारी एवं शर्तों के लिए जिला नजारत शाखा, सहरसा/जिला के वेवसाईट https://saharsa.nic.in पर उपलब्ध है।
विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखी जा सकती है।

जिलाधिकारी,
सहरसा।

PR- 014553 (District) 2026-27
नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

बिहार सरकार

भोजपुर समाहरणालय, आरा
(जिला विधि प्रशाखा)
आवेदन आमंत्रण सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0नं0-19276/2019 (क्रिमी0 मिस0 नं0-28530/2019 में पारित आदेश दिनांक-21.08.2019 से उद्धभूत) में दिनांक-15.05.2026 को पारित आदेश एवं सरकार के संयुक्त सचिव, विधि विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-5913 दिनांक-23.07.2026 के आलोक में उत्पाद न्यायालय के संचालन हेतु निजी भवन को किराये पर लेने की आवश्यकता है। मुख्य वास्तुविद, भवन निर्माण, विभाग, बिहार पटना द्वारा अनुमोदित वास्तुविदीय नक्शे के समरूप कोर्ट भवन होना ऐच्छिक है, जो निम्न प्रकार है:-

- Building Area Required - 100' x 50'
- Floor Required - G+2
- Ground Floor - Parking with Guard Room
- 1st Floor - 3BHK
  - a. Hall Size- 50'X30'
  - b. Room Size- 16'x16'
  - c. Room Size- 30'x20'
  - d. Room Size- 16'x16'
  - e. Toilet (Male, Female, Transgender & PH)
- 2nd Floor - Same as 1st Floor

निविदा की विस्तृत जानकारी **state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर, आरा।

PR- 014495 (District) 2026-27
नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

पूर्णिया में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा को लेकर भाजपा ने की अहम बैठक

बनमनखी पूर्णिया (आससे)। आगामी 4 नवंबर को पूर्णिया जिला स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर बनमनखी विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बताया गया कि यह कार्यक्रम केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें असम के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा जी एवं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल जी का आगमन होगा।

कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि पूर्णिया जिला भाजपा अध्यक्ष संजीव सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल रंजन वर्मा, विधानसभा प्रभारी विजय राय, भाजपा जिला प्रवक्ता दिलीप



झा, अनिल दास जी, सुबोध साह जी, बनमनखी नगर मंडल अध्यक्ष संतोष चौरसिया, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष नवनीत सिंह, जानकीनगर मंडल अध्यक्ष गुंजन शर्मा, जानकीनगर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राजेश रंजन यादव, बडहरा कोठी मंडल अध्यक्ष मंटू दास जी सहित बनमनखी विधानसभा के सभी मंडल महामंत्री एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं एवं आम जनमानस को पूर्णिया चलने का आह्वान किया गया।

फरक्का जल संधि पर नीतीश संवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जदयू ने की बैठक

कुरसेला (कटिहार) आससे। आगामी 4 नवंबर 2026 को टाउन हॉल कटिहार में आयोजित होने वाले 'फरक्का जल



संधि पर नीतीश संवाद' कार्यक्रम की सफलता को लेकर शुक्रवार को प्रखंड जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कमेटी की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जिम्मेदारियां बांटने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष योगेन्द्र गुप्ता ने की। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया।

वक्ताओं ने कहा कि फरक्का जल संधि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित होने वाला यह नीतीश संवाद कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। इसे सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बैठक में मुख्य अतिथि बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार बादल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इनमें कार्यक्रम के प्रखंड प्रभारी प्रमोद कुमार राय , मोहम्मद असरफ, वरिष्ठ जदयू नेता राजकुमार गुप्ता , मनोज कुमार सिंह , रामजी साह , जदयू जिला उपाध्यक्ष रणधीर जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि कैलाश सहनी, राजकुमार महतो सहित सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बिहार सरकार

कार्यालय का नाम- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चौसा।
निविदा आमंत्रण की सूचना (ई-टेडरिंग द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in)
NIT No- 05/2026-27
निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप (Eproc-2.0 के माध्यम से)
मानक निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप ₹ 25.00 लाख से 70.00 लाख तक की राशि के कार्यो के लिए (डबल बीड पद्धति)

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता - कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चौसा।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि - दिनांक- 26/10/2026
3. संवेदक द्वारा निविदा जमा करने की प्रारंभ तिथि - दिनांक- 08/11/2026 को समय -11:00 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न
4. प्री बीड मीटिंग की तिथि एवं समय एवं स्थान - दिनांक- 12/11/2026 को समय -11:00 से 14:00 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न, सभाकक्ष, नगर पंचायत, चौसा।
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि - दिनांक- 17/11/2026 समय- 05:00 बजे तक (www.eproc2.bihar.gov.in)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि - दिनांक- 19/11/2026 समय- 03:00 बजे
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि - तकनीकी बीड में सफल होने के उपरांत
8. कार्य की विवरणी-

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु. में)	अग्रधन की राशि (online के माध्यम से) Website: - www. Eproc2. bihar.gov.in	परिमाण विपत्र का मूल्य (online के माध्यम से) Website: - www.Eproc2. bihar.gov.in	Bid Processing fee (Through Online Payment हेतु प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पंचायत चौसा अन्तर्गत (1) बक्सर-सासाराम मुख्य पथ से मेराज रजक के घर तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य (2) बक्सर-सासाराम मुख्य पथ से मेराज रजक के घर होते हुए संतोष माली के घर तक आर0सी0सी0 नाली सह स्लैब निर्माण कार्य।	29,37,900.00	58,800.00	5000.00	As per eproc 2.0	03 (Three) Month
2	नगर पंचायत चौसा कार्यालय के सामने बक्सर चौसा मार्ग पर सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य।	49,46,600.00	93,000.00	5000.00	As per eproc 2.0	03 (Three) Month
3	नगर पंचायत चौसा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं0-14 में न्यायीपुर में बैजनाथ राम के घर से मीरा देवी, चन्द्रमा राम के घर से गाँधी राम के घर होते हुए जर्नादन राम के घर तक, रामजस राम के घर से बेचु राम, व्यास जी राम, मुनी राम के घर होते हुए सनोज गोड़ के घर तक एवं अमीरचन्द अरुण मास्टर के घर तक एवं अन्य गलियों का नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	46,35,900.00	92,800.00	5000.00	As per eproc 2.0	03 (Three) Month

नोटः- Bidders Should submit Bid Processing fee through Online Payment as per Amount generated on Website www.eproc2.bihar.gov.in
09. निविदा की वैद्यता अवधि : 120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)
10. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in अथवा **state.bihar.gov.in/prdbihar** मे देखा जा सकता है।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, चौसा।

PR- 014462 (B & C) 2026-27
नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।